

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 25.10.2024

कूटरचना व धोखाधड़ी कर जमीन का अवैध बैनामा करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल के नेतृत्व में व030नि0 शैलेन्द्र कुमार मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 634/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 323, 504, 506 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1. नूर आलम व 2. नूर इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा फर्जी व कूट रचित दस्तावेज तैयार कर वादी मुकदमा को मृतक बनाकर व वादी मुकदमा के मृतक भाईयों का वारिश बनकर वादी मुकदमा व उनके भाईयों की जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा करा लेना व बैनामा के बारे में पूछने पर गाली गुफ्ता देते हुये मारने पीटने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. नूर आलम पुत्र अलियाफ निवासी परमेश्वरपुर टोला कृतपुरा थाना चिलुआताल गोरखपुर
2. नूर इस्लाम पुत्र अलियाफ निवासीगण परमेश्वरपुर टोला कृतपुरा थाना चिलुआताल गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 634/2024 धारा 419,420,467,468,471,323,504,506 भादवि थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. व030नि0 शैलेन्द्र कुमार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. हे0का0 विनोद सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. का0 संजीत शाह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर